संख्या–2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

विषयः– **राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शिक्षण सत्र 2017–18 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक प्रतिवादन के आधार पर 585 पदों पर शिक्षण कार्य हेतु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यलयों में सहायक प्राध्यापकों को रिक्त कुल 877 पदों पर अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं। नियमित प्रवक्ताओं की चयनोपरान्त तैनाती होने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत् शिक्षण सत्र, 2017–18 को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु कार्यहित/जनहित में नितान्त अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक 585 रिक्त पदों के सापेक्ष अध्यापन कार्य लिया जाना है।

2– उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 585 पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक प्रतिवादन के आधार पर शिक्षण सत्र, 2017–18 के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत रखे जाने की व्यवस्था की जाती है :–

(i)– योग्य अभ्यर्थियों को नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अथवा दिनांक 28.02.2018 तक जो भी पहले हो, आमंत्रित किया जायेगा।

(ii)– यू0जी0सी0 की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

(iii)– अभ्यर्थियों का चयन सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्तर से विज्ञापन प्रसारित करते हुए किया जायेगा।

(iv)– शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को ₹ 500.00 (रू0 पाँच सौ मात्र) प्रति वादन की दर से भुगतान किया जायेगा। माह में कुल पारिश्रमिक ₹ 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

(v)– शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को प्रत्येक कार्य दिवस में न्यूनतम **02 वादन** का अध्यापन कार्य दिया जायेगा।

(vi)– उक्त पद पर चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों को नियमित पदों के सापेक्ष रखे जाने का कोई भी दावा अस्वीकार्य होगा व चल रही नियमित भर्ती प्रक्रिया में यदि उनके द्वारा पूर्व ही आवेदन किया गया है तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उक्त पदों के साक्षात्कार में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की भाँति 10 प्रतिशत का वरीयता अधिभार का दावा भी अस्वीकार्य होगा।

भवदीय,

23/10/2017

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

C.S.BISHT \Documents\P.K.Verma\P.K.Verma\Sambida Faculty

क्रमशः.......2

संख्या–2209(1)/XXIV(4)/2017-01(14)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3–निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।

4–सचिव, कार्मिक एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5–मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

6–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्डस।

7–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड **द्वारा**–निदेशक, उच्च शिक्षा।

6–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

7–समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

8–वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।

9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव